

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 500 /2013-14 दिनांक 22 जनवरी, 2014


कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संसोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

सामान्य शाखा-अंग्रेजी

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी0 (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्री प्रयाग दत्त मुरारी	रा0इ0का0 दिगालीचीड़, चम्पावत।	सामान्य	28-05-73	640-79 25-5-01	1-6-01	14-12-05
02-	श्री योगेश भट्ट	रा0इ0का0 मडलक, चम्पावत	सामान्य	01-05-79	640-79 26-5-01	30-5-01	14-12-05
03-	श्री जनार्दन प्रसाद	रा0इ0का0 तामली, चम्पावत	सामान्य	01-07-75	640-79 26-5-01	07-7-01	14-12-05
04-	श्री महेश चन्द्र पाटनी	रा0इ0का0 दूनाकोट, चम्पावत	सामान्य	24-05-69	2601-2711 24-05-01	06-6-01	14-12-05
05-	श्री बाला सिंह कोरंगा	रा0इ0का0 उच्छैती, पिथौरागढ़	सामान्य	01-01-72	25-05-01	28-5-01	14-12-05
06-	श्री अनिल सिंह	रा0इ0का0 झूलाघाट, पिथौरागढ़	सामान्य	21-07-77	2601-2711 24-05-01	29-5-01	14-12-05
07-	श्री आनन्द सिंह सामन्त	रा0उ0मा0वि0 बिशीनाखान, पिथौरागढ़	सामान्य	06-10-70	2601-2711 24-05-01	31-5-01	14-12-05


 (श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 क्रमशः पेज 2.....

पू०सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज०/

1706376

/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कौषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स०अ०एल०टी० (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि को संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो ले कि सम्बन्धित तदर्थ स०अ०एल०टी० (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवा दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में का व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) से नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स०अ०एल०टी० के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कर सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रकट होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सके हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 501 /2013-14 दिनांक 2 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

सामान्य शाखा-हिन्दी

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्री धर्मानन्द जोशी	रा0इ0का0 मवानी-दवानी, पिथौरागढ़	सामान्य	18-07-68	2601-2711 24-05-01	29-5-01	14-12-05
02-	श्री त्रिलोकी नारायण जोशी	रा0इ0का0 बडावे, पिथौरागढ़	सामान्य	25-09-74	28-05-01	30-05-01	14-12-05
03-	श्री संजय सिंह जनौटी	रा0इ0का0 काफलीगैर, बागेश्वर।	सामान्य	30-09-73	667 26-04-01	02-05-01	14-12-05
04-	श्री धर्मवीर सिंह	रा0इ0का0 बरा, उधमसिंहनगर।	पि० वर्ग	12-08-69	378 10-08-01	13-08-01	14-12-05


(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पू०सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 17077-90
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

क्रमशः पेज 2.....

- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि को संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।


मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि को संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 502 /2013-14 दिनांक 82 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

सामान्य शाखा-वाणिज्य

क्र. सं0	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्री लक्ष्मी दत्त तिवारी	रा0इ0का0 टनकपुर, चम्पावत	सामान्य	01-09-69	448-79 26-05-01	26-07-01	14-12-05

(श्रीमती सुषमा सिंह)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 17091-98

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।

क्रमशः पेज 2.....

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 503 /2013-14 दिनांक 32 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

सामान्य शाखा-सामान्य

क्र. सं0	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्री योगेश चन्द्र	रा0इ0का0 हैड़ाखान, नैनीताल।	सामान्य	13-01-72	33 03-08-01	13-08-01	14-12-05
02-	श्री कमलेश चन्द्र भट्ट	रा0इ0का0 लोहाली नैनीताल।	सामान्य	04-06-75	06 30-07-01	30-07-01	14-12-05
03-	श्री राजेश चन्द्रा	रा0इ0का0 पोखरी, नैनीताल	अनु0 जाति	30-06-71	33 24-07-01	24-07-01	14-12-05
04-	श्री सतीश चन्द्र	रा0इ0का0 ओखलकाण्डा, नैनीताल	अनु0 जाति	25-06-73	73-75 21-07-01	27-07-01	14-12-05
05-	श्री ललिता प्रसाद	रा0इ0का0 पाखू, पिथौरागढ़	अनु0 जाति	12-10-77	2601-2711 24-05-01	30-05-01	14-12-05
06-	श्री सुरेन्द्र सिंह पतियाल	रा0इ0का0 कालिका, पिथौरागढ़	अनु0 जन जाति	24-06-70	2601-2711 24-05-01	28-05-01	14-12-05
07-	श्री जीवन चन्द्र कापड़ी	रा0इ0का0 कनालीछीना पिथौरागढ़	सामान्य	28-11-73	2601-2711 24-05-01	30-05-01	14-12-05

क्रमशः पेज 2.....




तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (मध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

08-	श्री लक्ष्मी दत्त	रा0इ0का0 थरकोट, पिथौरागढ़	सामान्य	03-08-70	2601-2711 24-05-01	31-05-01	14-12-05
09-	श्री राजेन्द्र सिंह पूना	रा0इ0का0 हड़बाड़, बागेश्वर	सामान्य	10-03-74	660 26-04-01	01-05-01	14-12-05
10-	श्री नवीन चन्द्र पाठक	रा0इ0का0 माजखेत, बागेश्वर।	सामान्य	11-08-70	680 26-04-01	03-05-01	14-12-05
11-	श्री दीवान सिंह	रा0उ0मा0वि0 नामतीघेटाबगड़, बागेश्वर	सामान्य	04-06-74	664 26-04-01	04-05-01	14-12-05
12-	श्री हरिनन्दन	रा0उ0मा0वि0 चचरोटी अल्मोड़ा	सामान्य	09-09-72	171-4 18-05-01	02-07-01	14-12-05
13-	श्री ललित मोहन भाकुनी	रा0इ0का0 तकुल्टी अल्मोड़ा	सामान्य	05-01-75	593-95 02-04-01	02-07-01	14-12-05
14-	श्री गणेश दत्त	रा0इ0का0 चौनलिया अल्मोड़ा	सामान्य	06-12-73	08-06-01	02-07-01	14-12-05
15-	श्री उर्वा दत्त पाण्डे	रा0इ0का0 धूनाथल अल्मोड़ा	सामान्य	15-05-69	593-95 02-04-01	09-07-01	14-12-05
16-	श्री वासवानन्द	रा0इ0का0 नैनवालपाली अल्मोड़ा	सामान्य	09-05-74	33 07-08-01	07-08-01	14-12-05
17-	श्री कीर्ति बल्लभ गुरुरानी	रा0इ0का0 खेती, अल्मोड़ा	सामान्य	25-07-70	593-95 02-04-01	04-07-01	14-12-05
18-	श्री जसवन्त सिंह	रा0इ0का0 भौनखाल, अल्मोड़ा	सामान्य	24-09-70	592 20-06-01	04-07-01	14-12-05
19-	श्री राजेन्द्र सिंह महर	रा0इ0का0 रोड़ीपाली पिथौरागढ़	सामान्य	17-10-70	2601-2711 24-05-01	26-05-01	14-12-05


 (श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 /2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 17099-125

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त

आदेश निर्गमन की तिथि को संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो ले कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है क्रमशः पेज 3.....

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/504 /2013-14 दिनांक 22 जनवरी, 2014


कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

महिला शाखा-हिन्दी

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्रीमती कुसुमलता मुरारी	रा0क0इ0का0 काकड़, चम्पावत	सामान्य	14-10-73	648-79 26-05-01	07-07-01	14-12-05
02-	डॉ० लीला गोबाडी	रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़	सामान्य	14-07-74	2601-2711 24-05-01	31-05-01	14-12-05


 (श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 /2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पृ०सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज0/17126-135

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।

क्रमशः पेज 2.....

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/

505

/2013-14 दिनांक 22 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

सामान्य शाखा-गणित

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्री नवीन चन्द्र	रा0इ0का0 सूपी, नैनीताल	सामान्य	28-06-73	112 28-09-01	28-09-01	14-12-05
02-	श्री राजेन्द्र प्रसाद मौनी	रा0इ0का0 गुनियालेख, नैनीताल।	सामान्य	05-09-76	01 25-07-01	25-07-01	14-12-05
03-	श्री भुवन चन्द्र पाठक	रा0इ0का0 पांखू, पिथौरागढ़	सामान्य	01-01-70	2601-2711 24-05-01	30-05-01	14-12-05
04-	श्री ईश्वर चन्द्र	रा0इ0का0 धारचूला पिथौरागढ़	सामान्य	07-05-73	2601-2711 24-05-01	07-07-01	14-12-05
05-	श्री गोपाल सिंह	रा0इ0का0 खैरोली पिथौरागढ़	सामान्य	05-10-71	2601-2711 24-05-01	31-05-01	14-12-05
06-	श्री हरीश सिंह बोरा	रा0इ0का0 जौरासी पिथौरागढ़	सामान्य	01-05-71	2601-2711 24-05-01	02-06-01	14-12-05
07-	श्री पूरन चन्द्र जोशी	रा0इ0का0 भल्यूटा अल्मोड़ा	सामान्य	07-03-69	36 02-07-01	09-07-01	14-12-05

(श्रीमती सुषमा सिंह)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

क्रमशः पेज 2

- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि को संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ०सं०/सेवाए-3क(2)/अराज०/

17136-151

/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स०अ०एल०टी० (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स०अ०एल०टी० (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स०अ०एल०टी० के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि ~~संस्था~~ संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 506 /2013-14 दिनांक 2 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

महिला शाखा-कला

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्रीमती सरस्वती भट्ट	रा0क0इ0क0 थल पिथौरागढ़	सामान्य	01-04-73	2601-2711 24-05-01	28-05-01	14-12-05

(श्रीमती सुषमा सिंह)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पृ0सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 17152-162

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।

क्रमशः पेज 2.....

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या / सेवाएं-3क(2) / अराज0 /

509

/2013-14 दिनांक जनवरी, 2014

29

कार्यालय ज्ञाप / विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, सविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/ अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

महिला शाखा-गणित

क्र. सं0	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्रीमती शैलजा नयाल	रा0क0इ0का0 बाडेछीना अल्मोड़ा	सामान्य	30-06-74	366 30-05-01	02-06-01	14-12-05

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/1181-189

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।

क्रमशः पेज 2.....

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 569 /2013-14 दिनांक जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

22

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

महिला शाखा-गणित

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी0 (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्रीमती शैलजा नयाल	रा0क0इ0का0 बाडेछीना अल्मोडा	सामान्य	30-06-74	366 30-05-01	02-06-01	14-12-05

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 17181-189

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।

क्रमशः पेज 2.....

- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि को संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भौति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नेमीताल

- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि को संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 507 /2013-14 दिनांक 9 जनवरी, 2014
कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावतियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

महिला शाखा-अंग्रेजी

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	श्रीमती शारदा महर	रा0क0इ0का0 कनालीछीना पिथौरागढ़	सामान्य	17-02-71	2601-2711 24-05-01	02-06-01	14-12-05

(श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 /2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 14163-171
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।

- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि ~~को~~ संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएं दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 58 /2013-14 दिनांक 22 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप/विनियमितीकरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXIV(2)/2011-3(1) दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2011 तथा शासनादेश संख्या/2766/XXIV-2/13-15(01)/2009 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या/ सेवाएं-3क(2)/अराज0/16723-25/2012-13 दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा गठित विनियमितीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी अद्यतन अविरल रूप से स0अ0एल0टी0 पदों पर कार्यरत दिनांक 01-11-2001 तक शिक्षा बन्धु के रूप में व्यवस्था पर तैनात निम्नांकित तदर्थ स0अ0एल0टी0 को स0अ0एल0टी0 (स्नातक वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) में वर्तमान कार्यरत विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

- 1- विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि से कार्मिक उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।
- 2- सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता संगत नियमावलियों के अधीन वर्णित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3- उक्त विनियमितीकरण आदेश सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा पूरित प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक की होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्मिक का विनियमितीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो उसमें नियमानुसार परिवर्तन/संशोधन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विधिवत् स0अ0एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त ही उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा।

महिला शाखा-गृह विज्ञान

क्र. सं०	तदर्थ स0अ0एल0टी (पूर्व शिक्षा बन्धु) का नाम	विद्यालय का नाम	जाति	जन्म तिथि	शिक्षा बन्धु में नियुक्ति का विवरण		तदर्थ नियुक्ति का दिनांक
					आदेश/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	
01	02	03	04	05	06	07	08
01-	कु० पल्लवी मटियानी	रा०बा०इ०का० कनालीछीना,पिथौरागढ़	सामान्य	02-05-74	2601-2711 24-05-01	01-06-01	14-12-05

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
/2013-14 दिनांक उक्तानुसार।

पू०सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 17172-180

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।

क्रमशः पेज 2.....

- 6- वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 7- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) को उक्त आदेश निर्गमन की तिथि के संस्था में कार्यरत होने की दशा में ही विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाय। कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित हो लें कि सम्बन्धित तदर्थ स0अ0एल0टी0 (शिक्षा बन्धु) की सेवा एवं आचरण संतोषजनक है, उसकी सेवाएँ दिनांक 01-11-2001 से पूर्व शिक्षा बन्धु में व्यवस्था के दिनांक से अद्यतन निरन्तर है/सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। सम्बन्धित अभिकर्मी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 एवं प्रथम संशोधन सेवा नियमावली 1992 के तत्समय के संगत नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यताधारी हैं। सम्बन्धित की जाति वही है, जो आदेश में अंकित है तथा शिक्षा बन्धु में नियुक्ति/व्यवस्था एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि सही-सही अंकित है। यदि व्यवस्था/नियुक्ति आदेश में अंकित विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति परिलक्षित होती है तो तत्काल पंजीकृत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित स0अ0एल0टी0 के कार्यभार ग्रहण की सूचना एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त आदेश में कोई विसंगति प्रतीत होने पर सम्बन्धित कार्मिक उचित माध्यम से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल